

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कटूमर, अलवर

पीठासीन अधिकारी - श्री श्याम सुन्दर मुत्तीवाल (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या- 12/18/2025

जीसीएमएर- 2025/262

दायर दिनांक- 02/07/2025

निर्णय दिनांक- 04/09/2025

- श्रीमती विजय भारती पत्नी स्व० श्री रामावतार जाति जाट निवासी बेरका तहसील कटूमर हालपासी जाट मौहल्ला लक्ष्मणगढ रोड कटूमर अलवर।
- संजना पुत्री स्व० रामावतार जाति जाट निवासी बेरका तहसील कटूमर हालपासी जाट मौहल्ला लक्ष्मणगढ रोड कटूमर अलवर।

.....अपीलाण्टस

बनाम

- सरपंच ग्राम पंचायत बेरका पंचायत समिति कटूमर जिला अलवर।।

असल रेरपोडेण्ट

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 30.04.2024 विरासत इन्तकाल संख्या 1355

ग्राम बेरका ग्रा. पं. बेरका अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,

1956

उपस्थिति-1.श्री सत्येन्द्र चौधरी अधिवक्ता अपीलाण्टस

-:: निर्णय ::-

सक्षेप में अपील विवरण इस प्रकार है कि वादग्रस्त आराजी खसारा नम्बर 133, 133/589, 135, 136, 137, 142, 143, 144, 146, 175, 175/582, वाले ग्राम बेरका ग्राम पंचायत बेरका तहसील कटूमर में स्थित है, जो अपीलान्त भूतादिक जभावन्दी अपीलाण्टस के पिता व पति रामावतार जाति जाट निवासी कटूमर तहसील कटूमर की कब्जे कारत खातेदारी की दर्ज रिकॉर्ड आराजी थी अपीलाण्टस के पिता के जीवनकाल में ही फौत हो गये थे। अपीलाण्ट के पिता रामावतार के स्वर्गवास के बाद पटवारी हल्का ने अपीलाण्ट के वारिस के नाम की जाँच किये बिना ही बिना अपीलाण्ट का बिना बुलाये बिना सुने विधि विरुद्ध तरीके से इन्तकाल संख्या 1355 वाले ग्राम बेरका तरदीक किया है, जबकि अपीलाण्टस का नाम विजय भारती के स्थान पर भारती एवं संजना के स्थान पर संजू अंकित कर दिया। जिस गलत इन्तकाल को कानूनगो हल्का ने अपीलाण्ट को बिना बुलाये बिना सुने सही नाम की जाँच किये बिना ही दिनांक 30.04.2025 को इन्तकाल पर सही अंकन होना पाया अंकित कर दिया। जिस विरासत इन्तकाल को पटवारी हल्का ने दिनांक 05.01.2025 को रेरपोड सरपंच ग्राम पंचायत कटूमर के समक्ष कारते स्वीकृत पेश किया। जिस दोषपूर्ण इन्तकाल को ग्राम पंचायत ने बिना सुने बिना बुलाये अपीलाण्ट के सही नाम

उपखण्ड अधिकारी
कटूमर (अलवर) राज०

जानकारी किये बिना जाँच किये बिना पहचान के दस्तावेत लिये बिना ही गैरकानूनी ढंग से अपीलान्ट का नाम विजय भारती के स्थान पर भारती एवं संजना के स्थान पर संजू के नाम से स्वीकार कर दिया गया। जो विधि विरुद्ध तरीके से तस्दीक होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। अपीलान्ट को उक्त इन्तकाल संख्या 1355 के बारे में सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 27.06.2025 को पटवारी हल्का के पास जाने तथा रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर हुई, जिस पर अपीलान्ट ने इन्तकाल संख्या 1355 की नकल प्राप्त कर बिना देरी किये अपील पेश की है। आदेश दिनांक 30.04.2024 से दिनांक 30.06.2025 तक की देरी कण्डोन किये जाने का उचित कारण है जिस देरी को कण्डोन करने के लिये अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पत्रावली के साथ पेश किया गया है विवादित इन्तकाल ग्राम पंचायत की मीटिंग बुलाये बिना तथा प्रोसिडिंग रजिस्टर में दर्ज किये बिना एवं अपीलांट्स को बिना सुने बिना बुलाये तस्दीक किये जाने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर इन्तकाल संख्या 1355 दिनांक 30.04.2024 वाके बेरका ग्राम पंचायत बेरका तहसील कटूमर, अलवर निरस्त करने का निवेदन किया है।

अपीलान्ट को उक्त दोषपूर्ण इन्तकाल संख्या 1355 के बारे में सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 27.06.2025 को पटवारी हल्का के पास प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि फार्म पर पटवारी हल्का के हस्ताक्षर कराने गया तब पटवारी हल्का ने राजस्व रेकॉर्ड देखने के दौरान एवं रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर हुई, जिस पर अपीलान्ट ने इन्तकाल संख्या 1355 की नकल प्राप्त कर बिना देरी किये अपील पेश की है। ऐसे मामलों में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा देरी में नरमी का रूख अपनाया है। हस्तगत प्रकरण में अपील में देरी के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुये धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

प्रकरण में दफा 5 स्वीकार होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोंडेंट दिनांक 19.08.2025 को वावजूद रजिस्टर्ड डाक सूचना के अनुपस्थित आये जिनकी अनुपस्थिति दर्ज की गई। अपीलान्ट्स के द्वारा अपने पत्रावली के साथ नकल जामाबन्दी संवत् 2075 से 2078 व नकल इन्तकाल संख्या 1355 वाके ग्राम बेरका पेश किये है जो शामिल पत्रावली किये गये है।

अपीलान्ट्स अभिभाषक की अपील पर बहस सुनी गयी। सर्वप्रथम हमें उक्त इन्तकाल संख्या 1355 के बारे में जानकारी दिनांक 27.06.2025 को पटवारी हल्का के पास जाने तथा रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर हुई जिस पर अपीलान्ट ने इन्तकाल संख्या 1355 की नकल प्राप्त कर बिना देरी किये अपील पेश की है। अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील के तथ्यों को ही दोहराते हुए निवेदन किया अपीलान्ट्स के पिता व पति रामावतार जाति जाट निवासी कटूमर तहसील कटूमर की कब्जे काश्त खातेदारी की दर्ज रिकॉर्ड आराजी थी अपीलान्ट्स के पिता के जीवनकाल में ही फौत हो गये थे। अपीलान्ट के पिता रामावतार के स्वर्गवास के बाद पटवारी हल्का ने अपीलान्ट के वारिस के नाम की जाँच किये बिना ही बिना अपीलान्ट को बिना बुलाये बिना सुने विधि विरुद्ध तरीके से इन्तकाल संख्या 1355 वाके ग्राम बेरका तस्दीक किया है, जबकि अपीलान्ट्स का नाम विजय भारती व संजना के स्थान पर भारती व संजू अंकित कर दिया। जिस गलत इन्तकाल को कानूनगो हल्का ने अपीलान्ट को बिना बुलाये बिना सुने सही नाम की जाँच किये बिना ही दिनांक 30.04.2025 को इन्तकाल पर सही अंकन होना पाया अंकित कर दिया। जिस विरासत इन्तकाल को पटवारी हल्का ने दिनांक 05.01.2025 को रेस्पोंडेंट

उपस्थित अधिकारी
कटूमर (अलवर) राजको

सरपंच ग्राम पंचायत कठूमर के समक्ष बास्ते स्वीकृत पेश किया। जिस दोषपूर्ण इन्तकाल को ग्राम पंचायत ने बिना सुने बिना बुलाये अपीलान्ट के सही नाम की जानकारी किये बिना जॉच किये बिना पहचान के दस्तावेत लिये बिना ही गैरकानूनी ढंग से अपीलान्ट का नाम विजय भारती के स्थान पर भारती एवं संजना के स्थान पर संजू के नाम से स्वीकार कर दिया गया। जो विधि विरुद्ध तरीके से तस्दीक होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। अपीलान्ट को उक्त इन्तकाल संख्या 1355 के बारे में सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 27.06.2025 को पटवारी हल्का के पास जाने तथा रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर हुई, जिस पर अपीलान्ट ने इन्तकाल संख्या 1355 की नकल प्राप्त कर बिना देरी किये अपील पेश की है। आदेश दिनांक 30.04.2024 से दिनांक 30.06.2025 तक की देरी कण्डोन किये जाने का उचित कारण है जिस देरी को कण्डोन करने के लिये अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पत्रावली के साथ पेश किया गया है विवादित इन्तकाल ग्राम पंचायत की मीटिंग बुलाये बिना तथा प्रोसिडिंग रजिस्टर में दर्ज किये बिना एवं अपीलान्ट्स को बिना सुने बिना बुलाये तस्दीक किये जाने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर इन्तकाल संख्या 1355 दिनांक 30.04.2024 वाके बेरका ग्राम पंचायत बेरका तहसील कठूमर, अलवर निरस्त करने का निवेदन किया है।

हमने अपीलान्ट्स अभिभाषक की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। अपीलान्ट अधिवक्ता बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध राजस्व दस्तावेजात के आधार पर इन्तकाल संख्या 1355 दिनांक 30.04.2024 वाके बेरका ग्राम पंचायत बेरका तहसील कठूमर, अलवर निरस्त किये जाने एवं अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम-1956 की स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होती है।

—:आदेश:—

अतः अपीलान्ट अधिवक्ता बहस, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार की जाती है। ग्राम पंचायत बेरका स्वीकृत इन्तकाल संख्या 1355 दिनांक 30.04.2024 वाके ग्राम बेरका ग्राम पंचायत बेरका को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार कठूमर को रिमाण्ड कर निर्देशित किया जाता है कि वह नियमानुसार पुनः नामान्तरकरण की कार्यवाही करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.09.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे-इजलास सुनाया गया।

श्याम सुन्दर चेतोवाल(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर, अलवर